न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 109/2018
जीसीएमएस न0 2018/00282

1. सुगनकुंवर पत्नि चन्द्रभोपाल सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी शिवगढ (कानपुरा) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।

–प्रार्थीया

बनाम

1. गणपतलाल पिता बद्रीलालजी जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 30.01.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा कानपुरा पह० भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा के पुराने खाता संख्या 60 के आराजी नम्बर 191 शामिल नम्बर आराजी न0 192 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा आराजी नं0 197 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा आराजी नं० 224/192 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा स्थित हैं। जिसके नवीन खाता नं0 99 के आराजी नं0 310 रकबा 0.7500हे0 आराजी नं0 312 रकबा 0.01000. आराजी नं0 313 रकबा 0.2000हे0 आराजी नं0 314 रकबा 0.01000,आराजी नं0 315 रकबा 0.3200हे0 आराजी नं0 316 रकबा 0.46000 स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा कानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा के खाता नं0 99 के आराजी नं0 310 रकबा 0.7500हे0 आराजी नं0 312 रकबा 0.01[illegible] आराजी नं0 313 रकबा 0.2000हे0 आराजी नं0 314 रकबा 0.01000,आराजी नं0 [illegible] रकबा 0.3200हे0 आराजी नं0 316 रकबा 0.46000 हे0 [illegible] वादग्रस्त आराजियात जिसका पुराने नक्शा ट्रेस में प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात का सही रूप [illegible] पर काबिज अनुसार तरमीम था, तथा साबिक पुराने आराजी नं0 191 शामिल नं0 192 की पश्चिम मेड आराजी नं0 192 के उत्तरी पश्चिमी मेड के पास तक पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम थी और कायम थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थिया के खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजियात का नवीन नक्शा ट्रेस में नये आराजी नं0 310, 312, 313 बने है आराजी नं0 313 की पश्चिमी मेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:24 IST
Reason: SelfAttested

पर नवीन आराजी नं0 311 की उत्तरी पूर्वी कोर्नर पर गलत रुप से कायम कर दी गई हैं

3. प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी उत्तरी पश्चिमी कोने के नजदीक तक पूराने नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा ड्रेस मे मौके पर काबिज अनुसार प्रार्थिया का राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं. यह तरमीम राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ है तथा उक्त नक्शा ट्रेस मे अंकन प्रार्थिया के मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम नही किया है तथा पुराने नक्शा ड्रेस में पूर्व पश्चिम मेड पुरी लम्बाई तक थी जिसको नवीन नक्शाट्रेस मे लम्बाई में कम कर दिया हैं, तथा प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे की आराजियात का कुछ हिस्सा नवीन नक्शाड्रेस में विपक्षी नं० 1 की आराजी नं0 294 मे गलत रूप से मिला दिया है। जिसको पुनः दुरूस्त कराया जाना न्यायोचित है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी को न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किए जाने के बावजुद विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण विपक्षी संख्या एक का जवाब बन्द किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का भगवानपुरा की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि साबिक आराजी नम्बर 191 शामिल नम्बर 192 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 197 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 224/192 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी नम्बर 310 रकबा 0.75 हैक्टेयर ,आराजी नं0 312 रकबा 0.01000 हैक्टयेर, आराजी नं0 313 रकबा 0.2000हे0, आराजी नं0 314 रकबा 0.01000, आराजी नं0 315 रकबा 0.3200हे0 आराजी नं0 316 रकबा 0.46000 हैक्टैयर है। उक्त भूमि श्रीमति सुगन कुंवर पत्नि चन्द्रभोपाल सिंह राजपूत निवासी कानपूरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 191 शामिल नम्बर 192 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 310,312,313 बने है अतः आराजी नम्बर 191 शामिल नम्बर 192 के उत्तरी पश्चिम मेड के पास तक तक पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम थी जो मौके पर कब्जे अनुसार कायम थी। परन्तु भू- प्रबन्ध कार्य के दौरान वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 313 की पश्चिम मेड पर खसरा नम्बर 311 की उत्तरी पूर्व कोर्नर पर गलत रूप से कायम कर दी गई। इसे पुनः साबीक नक्शे अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नम्बर 191 शामिल न[illegible] की वर्तमान आराजी नम्बर 313 की उत्तरी पश्चिमी कोने के नजदीक तक [illegible] ट्रेस अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम किया [illegible] प्रस्तावित है। विपक्षी संख्या 1 गणपतलाल पिता बद्रीलालजी धाकड की साबिक आराजी [illegible] 189 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 190 रकबा 12 बिस्वा के [illegible] आराजी नम्बर 294 रकबा 1.47 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 311 रकबा 0.15 हैक्टेयर बने है। हाल आराजी नम्बर 294 के उत्तरीमेड जो आराजी नम्बर 311 के उत्तरी मेड है पर तरमीम को साबिक नक्शे अनुसार आराजी नम्बर 313 में समिलित किया जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि पटवार हल्का भगवानुपरा जमाबन्दी संवत् 2073–76 की खाता संख्या 19 के आराजी नम्बर 294 के उत्तरीमेड जो आराजी नम्बर 311 के उत्तरी मेड पर है तरमीम को साबिक नक्शे अनुसार खाता संख्या 99 की आराजी नम्बर 313 में सम्मिलित किया जाने हेतु उचित प्रतीत होता है।

6. तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पटवार हल्का भगवानुपरा जमाबन्दी संवत् 2073–76 की खाता संख्या 19 के आराजी नम्बर 294 के उत्तरी मेड जो आराजी नम्बर 311 के उत्तरी मेड पर है तरमीम को साबिक नक्शे अनुसार खाता संख्या 99 की आराजी नम्बर 313 में समिलित किया जाने हेतु प्रस्तावित किया है जो प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 99,खाता संख्या 19,मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस सम्वत 2004–2005 ,साबिक नक्शा, जमांबन्दी सम्वत् 2059–2062 की खाता संख्या 60, व खाता संख्या 9 की प्रमाणित प्रतिया पेश की जिसे तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाने हेतु उचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कानपुरा पटवार हल्का भगवानुपरा की जमाबन्दी संवत् 2073–76 की खाता संख्या 19 के आराजी नम्बर 294 के उत्तरी मेड जो आराजी नम्बर 311 के उत्तरी मेड पर तरमीम को साबिक नक्शे अनुसार खाता संख्या 99 की आराजी नम्बर 313 में सम्मिलित किए जाने का आदेश दिया जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

8. निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

30/1/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:24 IST
Reason: SelfAttested